राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर, दिनांक :– 12/10/2020

–:संशोधित परिपत्रः–

विषयः–सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

....

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र 08.02.2018 के क्रम संख्या (3) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

(3) केवल ऐसे सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा परन्तु चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सक शिक्षकों (एम.बी.बी.एस. उपाधि धारक) की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष के उपरांत आपवादिक मामलों में 02 वर्ष के लिए वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति से समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी। ऐसे सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 122000073 दिनांक 11.08.2020 द्वारा प्रदत्त राय के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

57/2020